



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 336]
No. 336]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 1997/भाद्र 6, 1919
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1997/BHADRA 6, 1919

विदेश मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1997

सा. का. नि. 491 (अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट अधिनियम में एतद्वारा और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1997 कहलायेंगे;
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 2 के खण्ड (ग) में उप-खण्ड (iii) के लिए निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :—

“(iii) मौजूदा पुस्तिका के लगभग भर जाने पर नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करना, अथवा”

[सं. VI/401/24/90]

के. सी. सिंह, संयुक्त सचिव (सी पी पी)

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 11-12-1980 के सा. का. नि. सं० 691(ई) द्वारा प्रकाशित हुए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा इन में संशोधन हुआ था:—

1. सा. का. नि. (ई)	50(ई)	दिनांक 07-02-1981
2. सा. का. नि. (ई)	494(ई)	दिनांक 16-06-1981
3. सा. का. नि. (ई)	469(ई)	दिनांक 24-06-1982
4. सा. का. नि. (ई)	325(ई)	दिनांक 12-04-1983
5. सा. का. नि. (ई)	482(ई)	दिनांक 13-06-1983
6. सा. का. नि. (ई)	860(ई)	दिनांक 01-11-1985
7. सा. का. नि. (ई)	345(ई)	दिनांक 29-03-1985
8. सा. का. नि. (ई)	857(ई)	दिनांक 13-10-1987
9. सा. का. नि. (ई)	84(ई)	दिनांक 11-02-1988
10. सा. का. नि. (ई)	1155(ई)	दिनांक 21-11-1988
11. सा. का. नि. (ई)	622(ई)	दिनांक 27-06-1990

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1997

G.S.R. 491(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980 namely :—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 1997.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Passport Rules, 1980, in rule 2, in clause (c), for sub-clause (iii) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(iii) issuing a fresh passport booklet when the pages in the booklet held are almost exhausted : or”

[No. VI/401/24/90]

K. C. SINGH, Jt. Secy. (CPV)

Note : The principal rules were published vide GSR number 691(E) dated 11-12-1980 and subsequently amended by :—

1.	GSR (E)	50(E)	dated 7-2-1981
2.	GSR (E)	494(E)	dated 16-6-1981
3.	GSR (E)	469(E)	dated 24-6-1982
4.	GSR (E)	325(E)	dated 12-4-1983
5.	GSR (E)	482(E)	dated 13-6-1983
6.	GSR (E)	860(E)	dated 1-11-1985
7.	GSR (E)	345(E)	dated 29-3-1985
8.	GSR (E)	857(E)	dated 13-10-1987
9.	GSR (E)	84(E)	dated 11-2-1988
10.	GSR (E)	1155(E)	dated 21-11-1988
11.	GSR (E)	622(E)	dated 27-6-1990